न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2021 G.C.M.S. No. 2021/311 पत्रावली दिनांक : 22.09.2021

अपीलार्थिगण:

1. मृत डूंगरराम पुत्र हिमताराम, जाति पीटल, निवासी रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली के विधिक उत्तराधिकारीगण:–
   - 1/1 ओमाराम पुत्र डूंगरराम, जाति पीटल, निवासी पटेलों का बास रोड़ रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
   - 1/2 रमेश पुत्र डुंगरराम, जाति पीटल, निवासी हिम्मतनगर जालोर रोड़, रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
   - 1/3 मुकेश पुत्र डुंगरराम, जाति पीटल, निवासी हिम्मतनगर जालोर रोड़, रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
   - 1/4 शांतिदेवी पत्नि डूंगरराम, जाति पीटल, निवासी हिम्मतनगर जालोर रोड़, रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
   - 1/5 पुष्पादेवी पुत्री डूंगरराम पत्नि दिनेश, जाति पीटल, निवासी बीठु, रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. वजाराम पुत्र हिमताराम, जाति पीटल, उम्र बालिग, निवासी जालोर रोड़, हिम्मतनगर के पास रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. विरदा पुत्र हिमताराम, जाति पीटल, उम्र बालिग, निवासी जालोर रोड़, हिम्मतनगर के पास रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
3. कानाराम पुत्र हिमताराम, जाति पीटल, उम्र बालिग, निवासी जालोर रोड़, हिम्मतनगर के पास रोहट, तहसील रोहट व जिला पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट व जिला पाली।
5. एस.बी.आई. बैंक शाखा रोहट जरिये शाखा प्रबंधक।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2020 बअनवान वजाराम बनाम डुंगरराम के का.मु. वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2021 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्याम पंचारिया, श्री प्रवीण कुमार बंजारा, श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़, श्री पृथ्वीसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

14/2020 बअनवान वजाराम बनाम डुंगरराम के का.मु. वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट वजाराम ने अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम रोहट के खसरा संख्या 526 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल लगान रूपये 6.83 के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता की गलती के कारण जवाब प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली पर अपीलार्थीगण का जवाब भी प्रस्तुत नहीं हुआ और रेस्पोंडेण्ट वजाराम ने जो स्वयं को पी.डब्ल्यु 1 और पी. डब्ल्यु गवाह केवलराम को परिक्षित करवाया उससे अपीलार्थीगण की जिरह भी नहीं हो सकी और न्यायालय के समक्ष सही स्थिति भी नही आ सकी है। इस प्रकरण में जो खसरा नम्बर 526 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि है वह पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से भी स्पष्ट था कि यह सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज डूंगरराम जी के अकेले की थी और डूंगरराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् विरासती म्युटेशन अपीलार्थीगण के नाम पारित किया गया था जिसमें वादी/रेस्पोडेण्ट वजाराम का और अन्य रेस्पोडेण्ट्स का कोई 1/4 हिस्सा किसी भी आधार पर नहीं था ये सारे तथ्य और स्थिति अपीलार्थीगण ने अपने द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को बता रखे थें और ये सारी स्थिति यदि अपीलार्थीगण की ओर से योग्य अधिन न्यायालय में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तब ही आ सकती थीं। परन्तु अपीलार्थीगण को उनका पक्ष रखने का अवसर ही नही दिया गया। इस कारण वादी/रेस्पोंडेण्ट वजाराम ने एकतरफा साक्ष्य करवाकर इस खसरा नम्बर 526 की भूमि में भी अपना 1/4 हिस्सा और अपीलार्थीगण के अलावा रेस्पोंडेण्ट विरदा और कानाराम का भी 1/4, 1/4 हिस्सा घोषित करवा लिया जो कि किसी भी आधार पर किये जाने योग्य नही था। इस प्रकार अपीलार्थीगण का मेरिट पर भी केस है। इस कारण भी योग्य अधिन न्यायालय का दायित्व था कि वे अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर देते। संबंधित हल्का पटवारी ने अपीलार्थीगण को दिनांक 17.8.2021 को सूचित किया कि अपीलार्थीगण की भूमि के बंटवाडा करने का आदेश उसके पास आया है तब तुरन्त अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और उसके पास जो योग्य अधिन न्यायालय द्वारा जारी आदेश और पत्र देखा तब तुरन्त अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्होने बताया कि इस प्रकरण में तो उन्होने रोहट में पैरवी करना कभी का बंद कर दिया है और वे इस प्रकरण में रोहट नही जा रहे हैं। तब अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने उनसे कहा कि आपने हमे सूचना नही दी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब अपीलार्थीगण ने अपने नये अधिवक्ता श्री पुल्कित जी से सम्पर्क किया और उनसे सम्पूर्ण पत्रावली की नकल निकलवाने हेतु निवेदन किया और दिनांक 18.8.2021 को सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2021 द्वारा स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.09.2021 को चार दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया। हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में महज चार दिनों का अल्प विलंब निहित है। जोकि प्रार्थी की लापरवाही से नहीं हुआ है तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वजाराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादी को 1/4, प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 को 1/4 प्रतिवादी विरदा को 1/4 व प्रतिवादी कानाराम को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने तथा हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 06.10.2020 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु दिनांक 21.10.2020 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 04.11.2020 नियत की गई। दिनांक 04.11.2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 06.11.2020 को नियत की गई। दिनांक 09.07.2021 को वादी साक्ष्य पूर्ण कर एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया कि उनकी ओर से प्रकरण में विधिवत पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थिति देना बंद कर दिया तथा अपीलांट को सूचित नहीं किया। अधिवक्ता की गलती की सजा अपीलांट को नहीं दी जा सकती, के संबंध में हमारे विनम्र मत में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा ही अपनी स्वेच्छा से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया तथा अधिवक्ता नियुक्ति के उपरांत ही पक्षकार का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसे नियमित रूप से अपने अधिवक्ता से संपर्क में रहना चाहिए तथा न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही से अद्यतन रहना चाहिए। जब तक पक्षकारान द्वारा जवाबदावा हस्ताक्षरित नहीं कर दिया जाता, तब तक अधिवक्ता न्यायालय में जवाबदावा पेश नहीं कर सकते। पक्षकार किसी भी दृष्टि से अधिवक्ता को दोषी नहीं ठहरा सकता। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में गुणावगुण पर कोई उज्र नहीं लिया है। बल्कि यह निवेदन किया कि वादग्रस्त संपूर्ण आराजी उपलब्ध राजस्व रेकर्ड से अपीलांट के पूर्वज डुंगरराम के अकेले की खातेदारी होना स्पष्ट है तथा स्वर्गवास के पश्चात विरासती नामांतरण से अपीलांट का नाम दर्ज किया गया है। जिसमें वादी एवं अन्य रेस्पोंडेंट्स का कोई हिस्सा नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 526 में वादी का 1/4, प्रतिवादी विरदा व कानाराम प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा गलत रूप से घोषित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है, के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण करने के साथ-साथ तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया। जमाबंदी संवत 2054 से 2057 प्रदर्श 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी विरदा हिस्सा 1/4 वादी वजा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी कान्हा हिस्सा 1/4 व अपीलांट के पिता प्रतिवादी डूंगर हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड था। जो जमाबंदी संवत 2058 से 2061, जमाबंदी सवंत 2062 से 2065 तक बदस्तूर दर्ज रिकॉर्ड रहा। जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार संपूर्ण खाता डूंगरराम पुत्र हिमताराम दर्ज हुआ तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अंकन अनुसार विरासत नामांतरण संख्या 4728 दिनांक 22.01.2016 द्वारा डूंगरराम के वारिसान अपीलांट का नाम दर्ज हुआ। प्रकरण में प्रदर्श 16 पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार रोहट को प्रेषित रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुसार भी जमाबंदी संवत 2066 से 2069 तैयारी के वक्त खसरा नंबर 526 डुंगरराम के नाम दर्ज हुआ। जो लिपिकीय त्रुटि है। वर्तमान जमाबंदी में डुंगरराम के वारिसान का नाम दर्ज किया गया। अतः स्पष्ट है कि भू–अभिलेखीय त्रुटि से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 526 में अकेले अपीलांट के पिता का नाम दर्ज हुआ। जिसका कोई आधार व कारण जमाबंदी में अंकित नहीं हैं तथा जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के पूर्व के अभिलेख में वादी व प्रतिवादी अपीलांट के पिता तथा प्रतिवादी विरदा व प्रतिवादी कानाराम प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के सहखातेदार के रूप में दर्ज है। खातेदार विरदा, कानाराम, वजाराम व डुंगरराम हिमताराम के वारिस है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य एवं जांच उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 526 में वादी वजाराम, प्रतिवादी अपीलांट डुंगरराम के वारिसान, प्रतिवादी विरदा व प्रतिवादी कानाराम प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित करते हुए, सहखातेदारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार रोहट द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जो हमारे विनम्र मत में पूर्णतया विधिसम्मत है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2020 बअनवान वजाराम बनाम डुंगरराम के का.मु. वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2021 की पुष्टि की जाती हैं। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 मास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner